



मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड

लिली ट्रेडिंग, छठवीं मंजिल, जहांगीराबाद भोपाल (म0प्र0) पिनकोड-  
462008

Website : [http:// www.tourism.mp.gov.in](http://www.tourism.mp.gov.in)

क्रमांक.5928/म.प्र.टू.बोर्ड/कौशल/2024

भोपाल, दिनांक 14/10/2024

रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन अंतर्गत रिस्पांसिबल सोविनियर अंतर्गत  
कला एवं हस्तकला के संवर्धन हेतु चयनित सूचीबद्ध परियोजना सहयोग संस्थाओं के  
चरणबद्ध कार्यक्रम का विवरण (TOR)  
जिला श्योपुर/कनो नेशनल पार्क, जिला निवाड़ी ग्राम लाडपुरा, जिला छिंदवाडा ग्राम  
सावरवानी, जिला अशोकनगर ग्राम प्राणपुर

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, भोपाल को रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन अंतर्गत रिस्पांसिबल सोविनियर अंतर्गत कला एवं हस्तकला के संवर्धन हेतु चयनित सूचीबद्ध परियोजना सहयोग संस्थाओं से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव डाक के माध्यम से दिनांक 04-11-2024 सायं 5:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

प्रबंध संचालक  
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड

**रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन अंतर्गत रिस्पांसिबल सोविनियर अंतर्गत  
कला एवं हस्तकला के संवर्धन हेतु चयनित सूचीबद्ध परियोजना सहयोग संस्थाओं के चरणबद्ध कार्यक्रम का  
विवरण (TOR)**

**जिला- श्योपुर, कूनो नेशनल पार्क के आस-पास स्थानीय क्राफ्ट एवं सोविनियर उत्पादन**

रिस्पांसिबल टूरिज्म मिशन अंतर्गत चयनित संस्था द्वारा रिस्पांसिबल सोविनियर परियोजना अंतर्गत कला एवं हस्तकला के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र की स्थापना मध्यप्रदेश के जिला श्योपुर/कूनो नेशनल पार्क, जिला निवाडी ग्राम लाडपुरा, जिला छिंदवाडा ग्राम सावरवानी, जिला अशोकनगर ग्राम प्राणपुर में कला एवं हस्तकला के संवर्धन हेतु की जाना है। (जिसमें मुख्य रूप से कम से कम 3 स्थानीय क्राफ्ट का उत्पादन कार्य किया जाना होगा) जिस हेतु चयनित संस्था को निम्नानुसार कार्य किये जाने होंगे -

1. चयनित ग्राम में केंद्र स्थापित किये जाने हेतु स्थान, भवन आदि की पहचान कर केंद्र स्थापना की आवश्यकता अनुसार आवश्यक मरम्मत एवं कार्य करते हुए केंद्र की स्थापना करना। इस हेतु निम्न बातों का पालन किया जाना होगा -
  - 1.1 केंद्र हेतु चयनित स्थान/भवन परियोजना हेतु चयनित ग्राम में ही होना चाहिए।
  - 1.2 केंद्र हेतु शासकीय जमीन/भवन को प्राथमिकता दी जायेगी।
  - 1.3 केंद्र हेतु भवन का साइज कम से कम 2000 वर्ग फिट होगा।
  - 1.4 केंद्र हेतु ग्राम में शासकीय जमीन/भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति सम्बंधित ग्राम पंचायत के अन्य ग्राम में केंद्र स्थापित किये जाने हेतु प्रबंध संचालक म.प्र.टू.बो. की अनुमति से किया जा सकता है।
  - 1.5 उपरोक्त अनुसार भवन या जमीन उपलब्ध नहीं होने पर अन्य किसी विकल्प हेतु प्रबंध संचालक म.प्र.टू.बो. की अनुमति से केंद्र स्थापना का कार्य किया जा सकता है।
2. ग्राम स्तर पर स्थापित केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु आर्टीज़न/प्रतिभागियों का चयन करना।
  - 2.1 प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागीयों/आर्टीज़न का चयन संस्था द्वारा चयनित क्राफ्ट के आधार किया जाएगा।
  - 2.2 प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागीयों/आर्टीज़न के चयन हेतु विवाहित महिलाओं को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जायेगी।
  - 2.3 प्रशिक्षण हेतु जिन प्रतिभागियों को चयनित किया जाएगा उनका उसी ग्राम अथवा ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक होगा।
  - 2.4 प्रशिक्षण हेतु चयनित किये जाने वाले प्रतिभागी/आर्टीज़न केंद्र पर सोविनियर उत्पादन कार्य करने हेतु सहमत होना चाहिए।
  - 2.5 प्रशिक्षण हेतु चयनित किये जाने वाले महिला प्रतिभागी/आर्टीज़न मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की किसी अन्य परियोजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
3. केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु मास्टर प्रशिक्षकों का चयन कर, प्रशिक्षण की विस्तृत कार्ययोजना एवं प्रशिक्षण का माड्यूल तैयार करना।
  - 3.1 प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का चयन किया जाकर उसकी जानकारी प्रोफाइल, बायोडाटा संस्था द्वारा प्रशिक्षण आरम्भ किये जाने से पूर्व प्रशिक्षण कार्ययोजना के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

- 3.2 प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षक सम्बंधित क्राफ्ट पर दक्ष होना चाहिए एवं कम से कम 5 वर्ष का अनुभव सम्बंधित क्राफ्ट के कार्य का होना चाहिए, इस हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनुभवी पारम्परिक शिल्पकार/आर्टीज़न को भी चुना जा सकता है |
  - 3.3 प्रशिक्षण की कार्ययोजना एवं प्रतिभागियों की जानकारी प्रशिक्षण आरम्भ किये जाने से कम से कम 15 दिन पूर्व म.प्र.टू.बो. को प्रेषित कर अनुमोदित कराई जाना आवश्यक होगी |
  - 3.4 प्रशिक्षण आरम्भ किए जाने से 1 माह पूर्व प्रशिक्षण माड्यूल का अनुमोदन म.प्र.टू.बो. से लिया जाना आवश्यक होगा |
4. प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर 100 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण करना एवं 70% प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ना।
    - 4.1 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक केंद्र पर कम से कम 100 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक होगा |
    - 4.2 प्रशिक्षित सदस्यों में से कम से कम 70% को स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ा जाना आवश्यक होगा |
    - 4.3 केंद्र पर कार्य किये जाने हेतु प्रशिक्षित सदस्यों के साथ-साथ अन्य स्थानीय कारीगरों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर केंद्र पर उत्पादन कार्य से जोड़ा जा सकता है |
5. प्रत्येक केन्द्र पर न्यूनतम 03 क्राफ्ट/स्किल सैट का निर्माण सुनिश्चित करना होगा जिसमें से कम से कम एक क्राफ्ट स्थानीय होना आवश्यक है।
    - 5.1 ग्राम स्तर पर स्थापित प्रत्येक केंद्र में कम से कम 03 क्राफ्ट/स्किल सैट का उत्पादन कार्य किया जाएगा |
    - 5.2 केंद्र पर उत्पादित होने वाले 03 क्राफ्ट/स्किल सैट में से कम से कम 1 क्राफ्ट स्थानीय होना आवश्यक होगा शेष 2 क्राफ्ट संस्था अपनी दक्षता के आधार पर एवं स्थानीय मांग एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चयनित कर सकेगी |
6. निर्मित होने वाले क्राफ्टों के न्यूनतम 30 प्रोटोटाइप/डिजाइन प्रत्येक क्राफ्ट हेतु 10 प्रोटोटाइप के मान से तैयार करना होगा |
    - 6.1 प्रत्येक केंद्र पर उत्पादित होने वाले 3 क्राफ्ट के कुल न्यूनतम 30 प्रोटोटाइप/डिजाइन तैयार किये जाने होंगे जो स्थानीय मांग, पर्यटन एवं पर्यटन स्थल की पहचान पर आधारित होंगे |
    - 6.2 क्राफ्ट का डिजाइन बाजार मांग एवं साइज को भी ध्यान में रख के तैयार किया जाएगा जिससे पर्यटक उसे अपने साथ आसानी से एवं अधिक संख्या क्रय कर लेकर जा सकें |
7. सभी निर्मित उत्पादों की ईको-फ्रेंडली पैकेजिंग हेतु प्राथमिकता के आधार पर लोकल सामग्री का उपयोग किया जाना होगा |
    - 7.1 पैकेजिंग हेतु इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना होगा कि उत्पाद सुरक्षित रहे साथ ही उसे रखना सुविधाजनक हो |

- 7.2 पैकेजिंग में उपयोग किये जाने वाले मटेरियल में प्लास्टिक या अन्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी सामग्री का उपयोग नहीं होना चाहिए ।
8. प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा तैयार उत्पादों हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन/उत्पादन सह विक्रय केन्द्रों के माध्यम से मार्केटिंग सुनिश्चित करना ।
- 8.1 केंद्र पर तैयार उत्पादों की मार्केटिंग हेतु कम से कम 3 ऑफलाइन स्टोर/काउंटर खोले जाने होंगे ।
- 8.2 सभी उत्पादों का जो केंद्र पर निर्मित होंगे उसका विस्तृत कटलॉग, फोटो, उत्पाद के विवरण (साइज, वजन, मटेरियल आदि) के साथ साथ एक QR code भी दिया जाना होगा जिसमें उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया का कम से कम 15 सेकेण्ड का वीडियो एवं उत्पाद की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी ।
- 8.3 उत्पादों के विक्रय हेतु यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा की जो भी उत्पाद तैयार होंगे वह 3 वेवसाईट पर क्रय किये जाने हेतु उपलब्ध हो जिसमें कम से कम 2 ई-कॉमर्स साईट होना आवश्यक होगा ।
- 8.4 संस्था की यह मुख्य जिम्मेदारी होगी कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर प्रदर्शित उत्पादों का विवरण एवं जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करेंगे साथ ही सभी आवश्यक कार्य जैसे स्टॉक संधारण, आर्डर की पूर्ति, आय की राशि का लेखा-जोखा एवं शिकायत आदि का निराकरण स्वयं संस्था सुनिश्चित करेगी ।
9. केंद्र पर तैयार उत्पाद के विरुद्ध आर्टीज़न को दिए जाने वाले लाभांश, मानदेय, एवं कार्पस आदि के संबंध में उचित नियम निर्धारण ।
- 9.1 संस्था सभी केंद्र हेतु यह सुनिश्चित करेगी कि केंद्र पर कार्य करने वाले आर्टीज़न के साथ उचित लाभांश, मानदेय साझा हो जिस हेतु नियमावली आर्टीज़न के साथ सहमती से तैयार किया जाना होगा, जिसमें म.प्र.टू.बो. की सहमती भी आवश्यक होगी ।
- 9.2 प्रत्येक केंद्र हेतु प्रथक से कार्पस अकाउंट खोला जाना होगा जिसमें प्रत्येक माह एक निश्चित प्रतिशत में राशि/अंशदान संस्था द्वारा कुल लाभांश में से जमा किया जाएगा यह प्रतिशत भी संस्था एवं आर्टीज़न मिलकर आपसी सहमति से तय करेंगे जिसमें म.प्र.टू.बो. की सहमती भी आवश्यक होगी ।
- 9.3 उपरोक्त हेतु विस्तृत तैयार नियमावली एवं मार्गदर्शिका संस्था द्वारा तैयार की जाना होगी जिसे लागू करने से पूर्व म.प्र.टू.बो. से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक होगा ।
10. केंद्र के स्थायित्व हेतु समिति/फर्म/सोसायटी का रजिस्ट्रेशन कर केंद्र को समुदाय द्वारा संचालित किये जाने की प्रक्रिया आरम्भ करना ।
- 10.1 केंद्र स्थापना से लगभग 5 वर्ष की अवधि उपरान्त संस्था केंद्र हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए समिति समिति/फर्म/सोसायटी के गठन की प्रक्रिया आरम्भ करेगी जिसमें केंद्र पर कार्यरत आर्टीज़न में से ही सर्वसहमती से लोगों का चयन कर समिति में जोड़ा जाना होगा ।
- 10.2 संस्था गठित होने वाली समिति की सभी लीगल एवं आवश्यक कार्यवाही को पूरा करेगी जिसमें म.प्र.टू.बो. से आवश्यक सहयोग लिया जा सकेगा ।

10.3 समिति गठन से पूर्व गठन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही एवं आगामी संचालन सम्बन्धी दिशानिर्देशों को तैयार किया जाकर म.प्र.टू.बो. से अनुमोदित कराया जाना होगा।

परियोजना का क्रियान्वयन उपरोक्त आधार पर निम्नानुसार चरणबद्ध रूप से संचालित किया जायेगा -

#### **प्रथम चरण में किये जाने वाले कार्य**

1. प्रारंभिक कार्यस्थल का चयन, कार्यस्थल की विस्तृत प्रोफाइल तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
2. स्थानीय स्तर पर प्रचलित कला एवं हस्तकला की संभावना, चयनित क्राफ्ट की बाजार मांग का प्रतिवेदन तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
3. चयनित कार्यस्थल पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुमानित हितग्राही/आर्टीज़न संख्या की जानकारी तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
4. उत्पादों की विविधता/नवीनीकरण/मॉडीफिकेशन पश्चात् बाजार मांग के आंकलन की जानकारी तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
5. म.प्र.टू.बो. को निर्धारित सुरक्षा निधि की राशि प्रेषित करना।
6. आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन का चयन करना एवं आवश्यक मरम्मत/रखरखाव सुनिश्चित करना।
7. परियोजना क्रियान्वयन हेतु समयसीमा एवं विस्तृत कार्ययोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

#### **द्वितीय चरण में किये जाने वाले कार्य**

1. प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थ संस्था के प्रतिनिधियों की जानकारी एवं बायोडाटा तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
2. प्रशिक्षण केन्द्र में आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री एवं उपकरणों का विवरण तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
3. हितग्राहियों की सूची वार्षिक आय/वर्तमान व्यवसाय/रूची/शिक्षा/मोबाईलेशन सम्बन्धी जानकारी तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
4. मार्केटिंग हेतु तैयार किए गये प्रोटोटाइपस का सैम्पल, फोटो, वीडियो तैयार कर म.प्र.टू.बो. को प्रेषित करना।
5. प्रथम रिफ्रेशर प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रेषित करना।
6. प्रथम चरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना।
7. प्रगति प्रतिवेदन (दो रंगीन प्रतियों में सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी)।

#### **तृतीय चरण में किये जाने वाले कार्य**

1. प्रशिक्षण एवं उत्पादन हेतु क्रय किए गए उपकरण, सामग्री में प्रमाणिक देयक एवं सूची।
2. द्वितीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रेषित करना।
3. प्रत्येक क्राफ्ट के 10 प्रोडक्ट तैयार होने पर।
4. मार्केटिंग हेतु आवश्यक प्रारंभिक तैयारियां, टैग, पैकेज, वीडियो, फोटो एवं तैयार उत्पादों का विवरण (रंग, आकार, गुणवत्ता का विवरण) / ब्रोशर आदि तैयार करना।

5. प्रत्येक आर्ट फार्म के प्रोटोटाइप के विक्रय हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन का विवरण, उत्पादों का विवरण एवं अन्य मार्केटिंग हेतु आवश्यक तैयारियों का विवरण।
6. प्रदर्शन स्थल (Display Center) पर आवश्यक निर्माण कार्य हेतु संबंधित से अनुबंध (यदि आवश्यक हो तो) निष्पादित करना। जिसमें किये जाने वाले कार्यों एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख। तैयार प्रदर्शन स्थल की जानकारी एवं संचालन हेतु संबंधित व्यक्ति का विवरण।
7. उत्पादित सामान के विपणन एवं शिल्पकारों के विकास व क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों में आयोजित मेलों/कार्यक्रमों की पहचान व भाग लेने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रथम पक्षकार को प्रस्तुत करना।
8. विपणन हेतु आकर्षक पैकेजिंग का विकास एवं शिल्प के आधार पर ब्रांडिंग हेतु विषयवस्तु तैयार करना।
9. समस्त स्त्रोंतों से प्रशिक्षणार्थियों को प्रदाय किए जाने वाले मासिक राशि का हितग्राहीवार विवरण।
10. तैयार डिस्प्ले सेंटरों की जानकारी, एवं संचालन हेतु संबंधित व्यक्ति का विवरण।
11. तैयार उत्पाद एवं डिजाइन की 01 प्रति कार्यालय हेतु भौतिक उपलब्धता सुनिश्चित करना।
12. द्वितीय चरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना।
13. उक्त चरण का प्रगति प्रतिवेदन (02 प्रतियों में)

#### **चतुर्थ चरण में किये जाने वाले कार्य**

1. प्रत्येक आर्ट फॉर्म के 05-20 प्रोटोटाइप/प्रकार के उत्पाद तैयार होने पर आनलाईन विक्रय हेतु प्लेटफार्म, उत्पादों का विवरण एवं अन्य आवश्यक तैयारियों का विवरण।
2. शिल्पकारों हेतु उनके विकास एवं ज्ञान/कौशल/कला के आदान-प्रदान हेतु अन्य राज्यों के शिल्पकारों के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना व अन्य कार्य आवश्यकतानुसार अथवा प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तावित कार्य।
3. तृतीय रिक्रेशर प्रशिक्षण का प्रतिवेदन ।
4. तैयार डिस्प्ले सेंटरों की जानकारी, एवं संचालन हेतु संबंधित व्यक्ति का विवरण।
5. डिस्प्ले सेंटरों पर उपलब्ध सामग्री का विवरण, विक्रय राशि से आय का विवरण।
6. विक्रय राशि की समेकित जानकारी।
7. समस्त स्त्रोंतों से प्रशिक्षणार्थियों को प्रदाय किए जाने वाले मासिक राशि का हितग्राहीवार विवरण।
8. उक्त अवधि का प्रतिवेदन (02 रंगीन प्रतियों में एवं साफ्ट कॉपी में)
9. तृतीय चरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करना ।
10. कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र-, ऑडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंतिम कार्यप्रगति प्रतिवेदन (02 रंगीन प्रतियों में एवं साफ्ट कॉपी में)।

#### **पांचवे चरण में किये जाने वाले कार्य**

1. परियोजना अवधि में प्राप्त राशि जैसे सीड मनी/कॉरपस फण्ड आदि की राशि उपयोग हेतु नियमावली तैयार करना।

2. परियोजना अंतर्गत क्रय सामग्री, तैयार उत्पाद आदि आवश्यक दस्तावेजों/सामग्री को स्थानीय समिति को स्थानांतरित करना।
3. प्रशिक्षण अवधि के समस्त दस्तावेजों, वित्तीय विवरण आदि की प्रति प्रस्तुत करना।
4. प्रशिक्षण अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, फोटोग्राफर्स, आवश्यक पासवर्ड इत्यादि, परियोजना अवधि में तैयार उत्पादन एवं डिजाइन की 01 प्रति में कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
5. चतुर्थ चरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना ।

**कार्य अवधि:**

1. उक्त कार्य हेतु कार्य आदेश जारी किये जाने की दिनांक से दस वर्षों की अवधि तक वैध होगा। सन्दर्भ में प्रथम तीन वर्षों तक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी।
2. अंतिम 7 वर्षों हेतु केवल तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हेतु गैर-वित्तीय होगा। कार्य के संतोषजनक पाये जाने एवं क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक पक्षकारों की सहमति से अवधि को आगामी वर्षों के लिये बढ़ाया जा सकता है ।

क्र.	श्रेणी	अवधि	विवरण
1	भाग-I	प्रथम वर्ष	स्वीकृत प्रशिक्षण, प्रोडक्शन, मार्केटिंग हेतु म.प्र.टू.बो. से कार्यआदेश अनुसार वित्तीय सहायता के साथ गतिविधियों का एवं केंद्र का गुणवत्ता पूर्ण संचालन
2		द्वितीय वर्ष	
3		तृतीय वर्ष	
4	भाग-II	चतुर्थ वर्ष	केंद्र संचालन हेतु तकनीकी एवं लीगल सहयोग प्रदान करते हुए उत्पादन एवं मार्केटिंग में सहयोग । (विशेष स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र.टू.बो. के अनुमोदन अनुसार वित्तीय सहयोग देय हो सकेगा )
5		पांचवा वर्ष	
6	भाग-III	छठवां वर्ष	केंद्र संचालन हेतु तकनीकी एवं लीगल सहयोग प्रदान करते हुए उत्पादन एवं मार्केटिंग में सहयोग । (विशेष स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र.टू.बो. के अनुमोदन अनुसार वित्तीय सहयोग देय हो सकेगा )
7		सातवां वर्ष	
8	भाग-IV	आठवां वर्ष	स्थानीय समुदाय को परियोजना संचालन हेतु सक्षम बनाना एवं समिति/फर्म के गठन की प्रक्रिया कर परियोजना का हस्तांतरण कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।  नोट : समिति/फर्म के गठन की प्रक्रिया इस अवधि से पूर्व भी की जा सकती है ।  (विशेष स्थिति में प्रबंध संचालक के अनुमोदन अनुसार वित्तीय सहयोग देय हो सकेगा)
9		नवां वर्ष	
10		दसवां वर्ष	

## भुगतान का विवरण:

प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक कला एवं हस्तकला हेतु जारी कार्यादेश के अनुसार संस्था को राशि का भुगतान निम्नलिखित चरणों में किया जायेगा:-

क्रं.	चरण	प्रतिशत	भुगतान के माईलस्टोन / प्रगति
1	प्रथम चरण	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>अनुबंध संपादन, प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं ग्राम/स्थल, आर्ट फॉर्म/स्किल सेट का चयन</li> <li>प्रस्तावित आर्ट फॉर्म/स्किल के प्रकार की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की बाजार मांग की संभावनाओं का आकलन</li> <li>डिजाईन इंटरवेन्शन, नवीन उत्पाद श्रृंखला की संभावना एवं बाजार मांग का आकलन प्रतिवेदन।</li> <li>प्रस्तावित आर्ट फॉर्म/स्किल के प्रकार अनुसार कार्यादेश जारी करना।</li> <li>सुरक्षा निधि प्रेषित करना।</li> <li>आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र का चयन एवं आवश्यक मरम्मत/रखरखाव सुनिश्चित करना।</li> <li>परियोजना क्रियान्वयन हेतु समयसीमा एवं कार्ययोजना प्रस्तुत करना।</li> </ul>
2	द्वितीय चरण	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>द्वितीय चरण (न्यूनतम 50-60%) प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।</li> <li>प्रत्येक क्राफ्ट के 10 प्रोडक्ट तैयार होने पर।</li> <li>परियोजना हेतु आवश्यक मानव संसाधन की पदस्थापना कर जानकारी प्रेषित करना।</li> <li>हितग्राहियों का प्रारंभिक चयन करना एवं सूची प्रेषित करना। प्रशिक्षण केन्द्र में आवश्यक सामग्री एवं उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कर जानकारी प्रेषित करना।</li> <li>प्रथम चरण (न्यूनतम 25%-30%) का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।</li> <li>उक्त अवधि का प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स, वीडियो आदि दस्तावेजीकरण प्रेषित करना (दो प्रतियों में)।</li> <li>प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर आवश्यक दस्तावेजीकरण पूर्ण करना।</li> <li>चयनित क्राफ्ट के अनुसार प्रोडक्ट डिजाईन/प्रोटोटाईप तैयार करने पर।</li> </ul>
3	तृतीय चरण	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>मार्केटिंग हेतु आवश्यक प्रारंभिक तैयारियाँ, टेग, पैकेज, वीडियो, फोटो, एवं तैयार उत्पादों का विवरण (रंग, आकार, गुणवत्ता का विवरण) / ब्रोशर आदि तैयार करना।</li> <li>तैयार किये गये उत्पादों की कीमत निर्धारित करना।</li> <li>तैयार उत्पाद एवं डिजाईन की 01 प्रति कार्यालय हेतु भौतिक उपलब्धता सुनिश्चित करना।</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>उक्त अवधि का प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स, वीडियो आदि दस्तावेजीकरण प्रेषित करना (दो प्रतियों में)।</li> </ul>
4	चतुर्थ चरण	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>तृतीय चरण (100%) प्रशिक्षण कार्य पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।</li> <li>पूर्व में आयोजित प्रशिक्षणों की फॉलोअप/रिफ्रेशर प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।</li> <li>विपणन हेतु 03 प्रदर्शन स्थल/विक्रय स्थल (डिस्प्ले काउंटर) का संचालन प्रारंभ करना।</li> <li>विक्रय स्थलों के आय-व्यय का नियमित विवरण प्रस्तुत करना।</li> <li>प्रशिक्षित समूह की सामूहिक वार्षिक आजीविका में परियोजना गतिविधियों से न्यूनतम राशि रूपये 02.00 लाख की वृद्धि सुनिश्चित होने पर।</li> <li>उक्त अवधि का प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स, वीडियो प्रेषित करना</li> <li>कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, वीडियो, फोटो, अंतिम प्रतिवेदन (दो प्रतियों में)</li> <li>स्थानीय पर्यटन समिति/कारीगरों की समिति का गठन एवं राष्ट्रीय बैंक में खाता संचालन प्रारंभ करना।</li> <li>स्थानीय समिति का वित्तीय, विपणन एवं कच्चे माल का प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।</li> </ul>

### अन्य नियम एवं शर्तें

- सभी सूचीबद्ध संस्थायें तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव हेतु अपना प्रस्ताव दो सीलबंद (1 तकनीकी प्रस्ताव 2 वित्तीय प्रस्ताव) लिफाफे में दिनांक / /2024 को 05:00 बजे सांय तक लिली ट्रेडिंग, छठी मंजिल, जहांगीराबाद, भोपाल स्थित कार्यालय में रखे बाक्स में डालने/डाक द्वारा भेजने होंगे। जो निविदाएं निर्धारित समय सीमा में प्राप्त नहीं होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाओं को निर्धारित दिनांक को कार्यालय के मीटिंग हॉल में उपस्थित निविदाकारों/ प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा। यदि किसी कारणवश कोई निविदाकार या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रहने में असफल रहता है तब भी निविदा खोले जाने की आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समय पर बिना कोई प्रतीक्षा किए सम्पन्न की जावेगी तथा इस विषय में उठाई गई आपत्तियां मान्य नहीं होगी।
- चयनित निविदाकार से प्राप्त प्रतिभूति राशि Security Deposit के रूप में अनुबंध अवधि तक रखी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि संस्था को सम्बंधित ग्राम हेतु जारी होने वाले कार्य आदेश की कुल राशि की 5% होगी।
- संस्थाओं का चयन निम्न प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा
  - सर्वप्रथम संस्थाओं द्वारा दो सीलबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव जमा किये जायेंगे।
  - तकनीकी प्रस्ताव पर संस्थाओं को प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा प्रस्तुतिकरण के आधार पर 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे।

- c. उक्त के पश्चात QCBS की गणना (संलग्न प्रपत्र 1) के आधार पर तकनीकी प्रस्ताव पर 30% एव वित्तीय प्रस्ताव पर 70% की योग्यता के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा ।
- d. चयनित संस्था को निर्धारित क्षेत्र में केंद्र स्थापना हेतु विस्तृत कार्यआदेश कार्य हेतु आवश्यक दिशानिर्देश एवं नियमावली के साथ जारी किया जाएगा ।
- e. सोविनियर केंद्र स्थापना उपरान्त उत्पादन में संलिप्त आर्टीजन को दिए जाने वाले स्टायपेंड/पारिश्रमिक/लाभांश का प्रतिशत एवं कार्पस फंड हेतु जमा होने वाली राशि का प्रतिशत मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से संस्थाओं के साथ मिलकर निर्धारित किया जाएगा ।

**प्रस्ताव मूल्यांकन की प्रक्रिया :**

**1. संस्थाओं द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव जमा करना :**

- o सभी सूचीबद्ध संस्थायें ग्राम स्तर पर रिस्पॉसिबल सोविनियर केंद्र स्थापित किये जाने हेतु अपना तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में सील बंद लिफाफे में जमा करेंगे ।

**2. संस्थाओं द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में से तकनीकी प्रस्ताव का अवलोकन समिति द्वारा किया जाएगा एवं सभी संस्थाओं को प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा ।**

**3. प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण :**

- o सभी आवेदित संस्थायें निर्धारित दिनांक पर मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल के कार्यालय में अपने-अपने कार्य एवं सोविनियर केंद्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में दक्षता एवं अनुभव के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखित बिन्दुओं के अनुसार प्रस्तुतिकरण देंगे ।

क्रम संख्या	विवरण
1	संस्था का परिचय, प्रोफाइल अनुभव का क्षेत्र
2	क्षमता और दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली (संस्था द्वारा जिन क्राफ्ट हेतु प्रस्ताव दिया जा रहा है उसकी विस्तृत कार्य योजना संलग्न प्रपत्र 2 तकनीकी प्रस्ताव अनुसार दी जाए )
3	आर्ट एवं क्राफ्ट के क्षेत्र में किये कार्य एवं अनुभव
4	आर्ट एवं क्राफ्ट हेतु प्राप्त पुरस्कार और प्रशंसा
5	तकनीकी क्षमताएं (प्रशिक्षण, उत्पादन, डिजाइन, नवाचार आदि)
6	तैयार किये जा रहे उत्पाद के फोटो, वीडियो एवं सेम्पल आदि
7	तैयार आर्ट एंड क्राफ्ट उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति एवं वर्तमान में उपयोग किये जा रहे ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लेटफार्म

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर संस्था द्वारा प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाना होगा जिसकी एक प्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ सीलबंद लिफाफे में भेजना होगा एवं समक्ष में प्रस्तुतिकरण के आधार पर समिति द्वारा उपरोक्त आधार पर स्कोर प्रदान किये जायेंगे ।

#### 4. प्रस्तुतिकरण की स्कोरिंग का आधार -

प्रस्तुतिकरण की स्कोरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं के आधार पर की जायेगी -

क्रम संख्या	विवरण	अधिकतम अंक
1	संस्था का परिचय, प्रोफाइल अनुभव का क्षेत्र	5
2	क्षमता और दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली (संस्था द्वारा जिस क्राफ्ट हेतु प्रस्ताव दिया जा रहा है उसकी विस्तृत कार्य योजना संलग्न प्रपत्र 2 तकनीकी प्रस्ताव अनुसार दी जाए)	20
3	आर्ट एवं क्राफ्ट के क्षेत्र में किये कार्य एवं अनुभव, आर्ट एवं क्राफ्ट हेतु प्राप्त पुरस्कार और प्रशंसा, तकनीकी क्षमताएं (प्रशिक्षण, उत्पादन, डिजाइन, नवाचार आदि)	20
4	तैयार किये जा रहे उत्पाद के फोटो, वीडियो एवं सेम्पल आदि	20
5	प्रस्तावित प्रत्येक क्राफ्ट हेतु निर्मित किये जाने वाले 10-10 वैरिएंट (क्राफ्ट के उत्पाद) अनुसार कुल 30 वैरिएंट की सूची एवं विवरण	5
6	उत्पादन केंद्र में कार्यरत आर्टीजन को दिए जाने वाले लाभांश का प्रतिशत एवं कॉर्पस फंड में जमा होने वाला प्रतिशत कितना होगा एवं किस तरह तय किया जाएगा का विवरण ।	10
7	तैयार आर्ट एंड क्राफ्ट उत्पाद की मार्केटिंग रणनीति एवं वर्तमान में उपयोग किये जा रहे ऑनलाइन/ऑफलाइन प्लेटफार्म	20
<b>कुल</b>		<b>100</b>

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर चयन समिति द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण पर स्कोर प्रदान किये जायेंगे जिसके पश्चात 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे व QCBS के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा ।

### QCBS हेतु की जाने वाली गणना का फॉर्मूला

QCBS (गुणवत्ता और लागत आधारित चयन) हेतु स्कोर गणना निम्न चरण अनुसार होगी

#### चरण 1: तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन:

- प्रत्येक संस्था के तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित मानदंडों (जैसे, योग्यता, अनुभव, दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली आदि) के आधार पर किया जायेगा है।
- तकनीकी स्कोर को **St** के रूप में अंकित किया जाएगा और इसे 100 अंकों में मापा जायेगा है।
- संस्थाओं को अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम तकनीकी स्कोर (70/100) प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

#### चरण 2: वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन:

- प्रत्येक संस्था जिसे तकनीकी स्कोर 70 या 70 से अधिक प्राप्त हुए हैं उनके वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा और न्यूनतम मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा ।
- वित्तीय स्कोर को **Sf** के रूप में अंकित किया जाएगा।
- न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करने वाले संस्था को अधिकतम स्कोर 100 दिया जाएगा, और संस्थाओं का मूल्यांकन निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार आनुपातिक रूप से किया जाएगा :  

$$Sf = \frac{L}{F} \times 100$$

जहाँ:

- **L** = सबसे कम वित्तीय बोली (lowest financial bid price)
- **F** = संबंधित संस्था की वित्तीय बोली

#### चरण 3: संयुक्त स्कोर की गणना:

- दोनों तकनीकी स्कोर (**Wt**) और वित्तीय स्कोर (**Wf**) को एक वेटेज दिया जाएगा । कुल वेटेज 100% होना चाहिए (जैसे, 30% तकनीकी के लिए और 70% वित्तीय के लिए)।
- प्रत्येक संस्था का अंतिम स्कोर (**S**) निम्नलिखित फार्मूला द्वारा निकाला जाएगा :

$$S = (St \times Wt) + (Sf \times Wf)$$

जहाँ:

- **St** = संस्था का तकनीकी स्कोर
- **Wt** = तकनीकी प्रस्ताव का वेटेज (उदाहरण के लिए, 0.70 यदि 70%)
- **Sf** = संस्था का वित्तीय स्कोर
- **Wf** = वित्तीय प्रस्ताव का वेटेज (उदाहरण के लिए, 0.30 यदि 30%)

#### चरण 4: संस्था का चयन:

- सबसे अधिक संयुक्त स्कोर (**S**) वाले संस्था का चयन किया जाएगा ।

**उदाहरण:**

- तकनीकी वेटेज ( $W_t$ ) = 30%
- वित्तीय वेटेज ( $W_f$ ) = 70%
- संस्था A: तकनीकी स्कोर ( $S_t$ ) = 85, वित्तीय प्रस्ताव = ₹10,00,000
- संस्था B: तकनीकी स्कोर ( $S_t$ ) = 80, वित्तीय प्रस्ताव = ₹9,00,000
- सबसे कम वित्तीय बोली ( $L$ ) = ₹9,00,000

**चरण 1:** वित्तीय स्कोर ( $S_f$ ) की गणना

- संस्था A का  $S_f$  =  $(₹9,00,000/₹10,00,000) \times 100 = 90$
- संस्था B का  $S_f$  =  $(₹9,00,000/₹9,00,000) \times 100 = 100$

**चरण 2:** संयुक्त स्कोर ( $S$ ) की गणना

- संस्था A का संयुक्त स्कोर =  $(85 \times 0.30) + (90 \times 0.70) = 25.5 + 63 = 88.5$
- संस्था B का संयुक्त स्कोर =  $(80 \times 0.30) + (100 \times 0.70) = 24 + 70 = 94$

**परिणाम:** संस्था B का संयुक्त स्कोर 94 है, जो संस्था A से अधिक है। इसलिए संस्था B का चयन किया जाएगा।

**रिस्पॉसिबल सोविनियर उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाने हेतु  
तकनीकी प्रस्ताव का प्रारूप  
जिला श्योपुर/कूनों नेशनल पार्क, जिला निवाड़ी ग्राम लाडपुरा, जिला छिंदवाडा ग्राम सावरवानी, जिला अशोकनगर  
ग्राम प्राणपुर**

संस्था का नाम .....

कार्यालय का पता .....

1. क्राफ्ट (हस्तकला या शिल्पकला) का नाम .....
2. उत्पाद का प्रकार (टेराकोटा, वुड, बेम्बू आदि).....
3. क्राफ्ट उत्पादन केंद्र स्थापना का स्थान (जिला, ब्लाक एवं ग्राम) का नाम.....  
.....
4. क्षेत्र एवं कारीगरों का चयन किस तरह होगा; उसकी रणनीति क्या होगी ?  
.....  
.....
5. प्रशिक्षक कौन होंगे उनका चयन या जानकारी का स्तर क्या होगा ?  
.....  
.....
6. कौन-कौन से उत्पाद तैयार होंगे, उनका डिजाइन आदि के चयन की प्रक्रिया क्या होगी ? (उत्पाद के रंगीन फोटो ग्राफ संलग्न करे) एवं (प्रस्तुतिकरण के समय सेम्पल प्रस्तुत करें)  
.....  
.....
7. प्रशिक्षण उपरान्त प्रतिवर्ष कितने उत्पाद तैयार होंगे अगले 3 वर्षों के लिए वर्षवार उत्पाद संख्या क्या होगी ?  
.....  
.....
8. क्राफ्ट केंद्र के नियमित संचालन एवं स्थायित्व को सुनिश्चित किये जाने हेतु कारीगरों का समूह गठन/SHG केंद्र स्थापना से 1 वर्ष में किया जाना होगा इस हेतु संस्था की रणनीति क्या होगी एवं भविष्य में इस केंद्र का संचालन समिति/समूह स्व स्तर से करे यह कैसे सुनिश्चित होगा |  
.....  
.....

9. कारीगरों के उत्थान एवं आश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए Corpus Fund अकाउंट बनाया जाना होगा इस हेतु संस्था की रणनिति क्या होगी एवं कितना प्रतिशत का अंशदान नियमित रूप से Corpus Fund अकाउंट में जमा किया जाएगा |
- .....
- .....

10. प्रशिक्षण की कार्ययोजना

- 10.1 प्रत्येक केंद्र पर कितने शिल्पकार/आर्टीजन को प्रशिक्षित किया जाएगा |
- .....
- .....

- 10.2 कुल आयोजित प्रशिक्षण बैचों की संख्या एवं अवधि क्या होगी ? निम्नानुसार विवरण प्रदान करें -

क्रं.	चरण	प्रस्तावित बैच	अवधि (प्रतिसत्र)	कुल प्रशिक्षक
1.	मुख्य प्रशिक्षण			
2.	रिफ्रेशर प्रशिक्षण			

11. प्रशिक्षक (चयन) - प्रशिक्षक कौन होंगे उनका चयन का आधार क्या होगा ?
- .....
- .....

12. केंद्र स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता कैसी (निजी/किराये/सरकारी) होगी एवं केंद्र स्थापना के लिए आवश्यक क्षेत्र (जमीन का साईज) कितना होगा ?
- .....
- .....

13. परियोजना अंतर्गत निर्मित उत्पाद के लिए बाजार का विकास एवं प्रचार-प्रसार कैसे होगा, मार्केटिंग रणनिति क्या होगी ?
- .....
- .....

14. केंद्र पर निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग कैसे करेंगे जिससे उत्पाद की बिक्री सुनिश्चित की जा सके।
- .....
- .....

15. वर्तमान में संस्था किस तरह के उत्पाद निर्मित कर रही है, सूची प्रस्तुत करें एवं अधिक स्पष्टता हेतु फोटोग्राफ एवं वीडियो/रील आदि (साफ्ट प्रति, पैन ड्राइव में) संलग्न करें |
- .....
- .....

16. वर्तमान में निर्मित हो रहे उत्पादों की मार्केटिंग किस तरह की जा रही है ? यदि कोई ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से मार्केटिंग की जा रही हैं तो उसकी भी जानकारी साझा करें (लिंक एवं पोर्टल का स्क्रीन शॉट लगाएं)

.....  
.....

17. अन्य कोई जानकारी या विवरण जो की परियोजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने एवं स्थानीय कारीगरों को रोजगार के विकल्प प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है साझा करें ।

.....  
.....

संस्था प्रमुख का नाम , पद व हस्ताक्षर

**रिस्पॉसिबल सोविनियर उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाने हेतु  
वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप**

संस्था का नाम .....

कार्यालय का पता .....

1. स्थान (जहां केंद्र प्रस्तावित है) .....
2. क्राफ्ट का नाम एवं प्रकार (टेराकोटा, वुड, बेम्बू, आदि).....
3. क्षेत्र एवं क्राफ्ट के आधार पर निम्न मदों के आधार पर वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करें -

क्र.	मद	विवरण	प्रस्तावित राशि 3 वर्षों हेतु	रिमार्क
1	अधोसंरचना एवं सुविधायें	भवन, किराया, रख-रखाव बिजली, पानी, आदि जैसे नियमित मासिक व्यय (न्यूनतम 3000 वर्ग फिट) ...../- मासिक		उक्त व्यय संस्था द्वारा प्रेषित न्यूनतम आधार पर अधिकतम 3 वर्ष हेतु मासिक गणना कर देय होगा ।
2	मशीन एवं उपकरण (क्राफ्ट के आधार पर)	उत्पाद एवं क्राफ्ट के आधार पर लगने वाले सभी उपकरण एवं 3 माह का कच्चा माल सहित		उक्त व्यय बाजार से मशीन क्रय प्रक्रिया (ब्रांड एवं कोटेशन) के आधार पर न्यूनतम के आधार पर देय होगा ।
3	कार्यालयीन व्यवस्था एवं उपकरण	कंप्यूटर, प्रिंटर, सी.सी.टी.वी, टेबल, कुर्सी, पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र आदि		उक्त व्यय बाजार से मशीन क्रय प्रक्रिया (ब्रांड एवं कोटेशन) के आधार पर न्यूनतम के आधार पर देय होगा ।
4	मुख्य प्रशिक्षण व्यय	300 घंटों का प्रशिक्षण (प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु राशि रूपये ...../- अनुसार)		100 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण मोड्यूल एवं 300 घंटे के प्रशिक्षण हेतु देय होगा ।
5	रिफ्रेशर प्रशिक्षण व्यय	30 घंटों का प्रशिक्षण (प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी हेतु राशि रूपये ...../- अनुसार)		100 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण मोड्यूल एवं 30 घंटे के प्रशिक्षण हेतु देय

क्र.	मद	विवरण	प्रस्तावित राशि 3 वर्षों हेतु	रिमार्क
6	आर्टीजन का स्टायपेंड	आर्टीजन द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने राशि रूपये ...../- प्रत्येक प्रतिभागी हेतु		केवल मुख्य प्रशिक्षण (300 घंटों का) पूर्ण किये जाने पर एक बार देय होगा ।
5	स्टाफ एवं मानदेय	क्राफ्ट एक्सपर्ट (डिजाइन, मार्केटिंग, पैकेजिंग आदि के सहयोग हेतु माह में 10 दिन हेतु) ...../- प्रतिमाह		प्रत्येक पद हेतु न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव क्या होगी ? पदवार विवरण संलग्न करें
		परियोजना समन्वयक 1 (नियमित रिपोर्टिंग, समन्वय एवं केंद्र पर उत्पादन से जुड़े अन्य कार्य में सहयोग हेतु) ...../- प्रतिमाह		
		कम्युनिटी मोबलाईजर ...../- प्रतिमाह		
		अन्य (यदि आवश्यक है तो)		
6	मार्केटिंग एवं प्रमोशन	केंद्र पर निर्मित उत्पादों की बिक्री एवं मार्केटिंग हेतु आवश्यक कार्य जैसे वेबसाइट डिजाइन, ई-कॉमर्स साइट के साथ टाईअप्स आदि ।		न्यूनतम 3 ई-पोर्टल/मार्केटिंग साइट पर उत्पादों को लिस्टिंग किये जाने एवं स्थानीय स्तर पर होटल/रिसोर्ट आदि में कियोस्क स्थापित किये जाने हेतु ।
7	अन्य व्यय	उत्पादन एवं कार्यालयीन व्यय (.....%)		
केंद्र स्थापना हेतु कुल प्रस्तावित राशि				

4. प्रस्तावित केंद्र पर क्राफ्टवार कौन-कौन से उत्पाद तैयार होंगे निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करें -

क्र.	विवरण (क्राफ्ट का नाम.....)	इकाई दर	कुल मूल्य
1.	उत्पाद का लागत मूल्य		
2.	उत्पाद का बिक्री मूल्य		
3.	शिल्पकारों / कारीगरों का मानदेय / लाभांश प्रतिशत (बिक्री मूल्य का .....प्रतिशत)		

संस्था प्रमुख का नाम , पद व हस्ताक्षर

## कार्य आवंटन की प्रक्रिया के चरण

1. उपरोक्तानुसार संस्था अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी ।
2. सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव पर संस्थाओं को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा जिसमें संस्थाओं को प्रस्तुतिकरण के आधार पर स्कोर प्रदान किये जायेंगे जो अधिकतम 30 अंक तक होंगे ।
3. प्रस्तुतिकरण उपरान्त संस्थाओं के वित्तीय प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन उपरान्त खोले जायेंगे ।
4. संस्थाओं के चयन हेतु गठित समिति ही मूल्यांकन के आधार पर संस्थाओं को कार्य आवंटन किये जाने की अनुशंशा प्रेषित करेगी ।
5. संस्थाओं को उपरोक्त अनुसार QCBS (Quality cum Cost Based Selection) के आधार पर अनुबंध करते हुए कार्यआदेश प्रदान किया जायेगा ।

\*\*\*\*\*